कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री पवन सूत भण्डार, गोला कुँआ, मेरठ।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**010 / 14, 06.02.2014**
प्रार्थी की ओर से	**श्री उमेश अग्रवाल, फर्म स्वामी।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री पवन सूत भण्डार, गोला कुँआ, मेरठ द्वारा दिनांक 06.02.2014 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्न वस्तुओं पर वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर की दर जाननी चाही गयी है :-

1. कॉटन स्टैपिल फाइबर यार्न (हैन्क एवं कोन)
2. पालिएस्टर स्टैपिल फाइबर यार्न (हैन्क एवं कोन)
3. एकरेलिक स्टैपिल फाइबर यार्न (हैन्क एवं कोन)
4. विसकोस स्टैपिल फाइबर यार्न (हैन्क एवं कोन)
5. पालिएस्टर फीलामेन्ट यार्न

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री उमेश अग्रवाल, फर्म स्वामी उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि विज्ञप्ति संख्या-1690, दिनांक 24.12.2013 से पालिएस्टर एवं स्टैपिल फाइबर यार्न को करमुक्त किया गया है। यह भी कहा गया कि स्टैपिल फाइबर यार्न में सामान्यत: चार प्रकार के स्टैपिल फाइबर यार्न होते हैं (1) कॉटन स्टैपिल फाइबर (2) विसकोस स्टैपिल फाइबर (3) एकरेलिक स्टैपिल फाइबर (4) पालिएस्टर स्टैपिल फाइबर। यह भी कहा गया कि पालिएस्टर फीलामेन्ट यार्न भी इस विज्ञप्ति में करमुक्त होना चाहिए। इस सन्दर्भ में NITRA POWERLOOM SERVICE CENTRE & TESTING LAB, Panchayat Bhawan, Maqbare Road, Kesarganj, Meerut का पत्र दिनांक 02.01.2014 प्रस्तुत किया जिसमें यह प्रमाणित किया गया है कि स्टैपिल फाइबर से निर्मित सभी यार्न स्टैपिल यार्न कहलाते हैं जैसे कॉटन, पालिएस्टर, विसकोस, एकरेलिक यार्न आदि। प्रमाण-पत्र में यह भी लिखा है कि जो फाइबर कट नहीं किया जाता है यानी जिसकी लैन्थ कन्टीन्यूअस होती है वह स्टैपिल यार्न नहीं कहलाता। इस सन्दर्भ में TEXTILES COMMITTEE, Government of India, Ministry of Textiles, A-18 / B Naraina Ind. Area, Phase-II, New Delhi का भी एक प्रमाण-पत्र दाखिल किया जिसमें निम्न तथ्य प्रमाणित किये गये हैं :-

staple fibre a fibre of limited and relatively short length generally the term used for natural fibres like cotton, wool etc. Synthetic staple fibres like Polyester, Acrylic, Viscose are used for blending with natural fibres like P / C (polyester & cotton), P / V (Polyester & Viscose), (Acrylic & Wool) etc.

तदनुसार सन्दर्भित वस्तुओं को करमुक्त घोषित करने का अनुरोध किया गया।

......2

<u>सर्वश्री पवन सूत भण्डार / प्रा0 पत्र सं0-010 / 14 / धारा-59 / पृष्ठ-2</u>

3.. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मेरठ जोन मेरठ द्वारा पत्र संख्या-3474, दिनांक 14.03.2014 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-10 पर पालिएस्टर एवं स्टैपिल फाइबर यार्न को करमुक्त किया गया है। अत: सन्दर्भित वस्तुओं को करमुक्त होना चाहिए।

4. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मेरठ जोन मेरठ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि समिति की संस्तुति का परिशीलन किया गया। पाया गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की कर अनुसूची-I के क्रमांक-10 की प्रविष्टि इस प्रकार है- ‘‘ Cotton yarn in hanks and cones, silk yarn in hanks and cones; Poly cotton roving (puni) and slibers;, Cotton newar, hand spun yarn, handloom newar; baan made of kaans, moonj or sunn; Polyster and staple Fiber yarn. " इस प्रविष्टि में Polyster and staple Fiber yarn शब्दों का उल्लेख किया गया है। पूर्व में Polyster and staple Fiber yarn उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-98 पर अंकित था। कालान्तर में शासन की अधिसूचना संख्या-1690, दिनांक 24.12.2013 द्वारा इस प्रविष्टि को विलोपित करते हुए Polyster and staple Fiber yarn को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-I की प्रविष्टि संख्या-10 में सम्मिलित करते हुए करमुक्त किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत Government of India, Ministry of Textiles के प्रमाण-पत्र दिनांक 09.01.2014 में अंकित है कि Polyester staple fibre के साथ जब अन्य किसी staple fibre को मिलाया जाता है तो वह Polyester and Cotton, Polyester and Viscose staple fibre कहलाता है। इस प्रमाण-पत्र से स्पष्ट है कि Polyester and staple fibre yarn की प्रविष्टि का तात्पर्य Polyester मिश्रित staple fibre yarn है।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-सी के क्रमांक-179 एवं 180 पर निम्न प्रविष्टियाँ हैं :-

<u>क्रमांक-179</u>

Polyester texturised yarn.

<u>क्रमांक-180</u>

Yarn of Polyesters, partially oriented.

उक्त से स्पष्ट है कि पालिएस्टर स्टैपिल फाइबर यार्न के अतिरिक्त पालिएस्टर के बने अन्य यार्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-10 की प्रविष्टि में सम्मिलित नहीं हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि Polyester मिश्रित staple fibre yarn ही उक्त श्रेणी में करमुक्त होगा। पालिएस्टर फीलामेन्ट यार्न उक्त श्रेणी में करमुक्त नहीं होगा।

प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित कॉटन स्टैपिल फाइबर यार्न, उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-10 की प्रविष्टि में अंकित ‘Cotton yarn in hanks and cones’ की प्रविष्टि के अन्तर्गत करमुक्त होगा। शेष एकरेलिक स्टैपिल फाइबर यार्न एवं विसकोस स्टैपिल फाइबर यार्न यदि पालिएस्टर मिश्रित हैं तभी करमुक्त होंगे, अन्यथा स्थिति में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-ए की

...3

प्रविष्टि संख्या-6 ‘‘ All types of yarn other than cotton & silk yarn in hank; sewing thread ; cotton waste yarn. ’’ के अन्तर्गत 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

उपरोक्तानुसार प्रार्थी द्वारा उल्लिखित विभिन्न प्रकार के यार्न पर करदेयता की स्थिति निम्न भाँति स्पष्ट की जाती है :-

क्रम संख्या	वस्तु का नाम	कर की दर
1	काटन स्टैपिल फाइबर यार्न	करमुक्त
2	पालिएस्टर स्टैपिल फाइबर यार्न	करमुक्त
3	एकरेलिक स्टैपिल फाइबर यार्न	पालिएस्टर मिश्रित होने पर करमुक्त अन्यथा 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर
4	विसकोस स्टैपिल फाइबर यार्न	पालिएस्टर मिश्रित होने पर करमुक्त अन्यथा 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर
5	पालिएस्टर फीलामेन्ट यार्न	4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर

5. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 30 सितम्बर, 2014

ह0 / 30.09.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।